



कार्यालय अग्निशमन केन्द्र, नगर परिषद चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक :- फायर / 21-22 / 8149

दिनांक:- 4/3/22

-: अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र :-

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीप्ती शास्त्री द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर **MEWAR UNIVERSITY, GANGRAR CHITTORGARH** के लिए फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है। इसके आधार पर फायर यंत्रों की जाँच मौका देखा गया। जो सही एवं कार्यशील अवस्था में पाये गये अतः उपरोक्त संस्था के लिए दिनांक **04/03/2022** से फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है एवं फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र का हर वर्ष नवीनीकरण करना आवश्यक होगा जिसके लिये समाप्ति से एक माह पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा।

-: फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र की निम्न शर्तें मान्य होगी: -

1. सभी फायर यंत्र सुचारू रूप से चालु हालात में रहेंगे।
2. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रिफिल कराना होगा।
3. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पुरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
4. सम्बन्धित विश्वविद्यालय के समस्त स्टाफ व सिक््युरिटी गार्डर्स को वर्ष में कम से कम 2 बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबन्धक को मान्य होगा।
6. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे एवं ए.एम.सी. करवाई जाकर सिस्टम का रख-रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
7. फायर वाहन आसानी से आ-जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा एवं आपातकालीन द्वार हमेशा बिना अवरोध के खुला रखने के लिए बाध्य होंगे।
8. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक प्रदार्थ व अति ज्वलनशील प्रदार्थ नहीं रखना होगा।
9. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की ऊँचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
10. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
11. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
12. भूमि एवं भवन सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्षी मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
13. वर्ष में अग्निशमन अधिकारी द्वारा 2 बार निरीक्षण किया जावेगा। निरीक्षण के दौरान कोई भी फायर यंत्र कार्यरत अवस्था में नहीं पाया जाता है तो फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।

अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद चित्तौड़गढ़

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIVISION BEGUN

No. /2022-23/D- 419

Date :- 26/07/2022

To,
The Registrar
Mewar University
Gangrar District Chittorgarh (Raj.)

Subject: - Regarding Safety Certificate of Mewar School of Nursing Mewar University Gangrar District Chittorgarh (Raj.)
Ref. Your office latter No. 2513 dated 25.07.2022
Ref. of depositing fee : No. CR No.60270/59 dated 26.07.2022 for Rs. 6000/-

Sir,

It is to inform that above building has been inspected by Assistant Engineer PWD Sub Dn. Gangrar on Dated 26.07.2022 On the basis of recommendation Aen PWD Sub Dn Gangrar & affidavit furnished by owner, it is to certify that this building is safe for School activities.

The Certificate is valid for a period 3 (Three) Year i.e. only up to Dated. 25.07.2025 subjected to regular upkeep and satisfactory Annual maintenance by School owner.

Note : This certificate will be cancelled automatically if the building is used for any other purpose other than the school activities at any time during the year.

Your's Faithfully


(Rajeev Agarwal)


Executive Engineer
PWD Dn, Begun

Date :- 26/07/2022

No. /2022-23/D- 419

Copy Submitted to :-

1. Assistant Engineer PWD Sub Dn Gangrar With Reference to Your Letter No. Spl. 119 Date 26.07.2022


(Rajeev Agarwal)
Executive Engineer
PWD Dn. Begun